19.10.22

पत्रावली पेश हुई।

बहस सुनी गई।

प्रार्थीनीगण की बहस है कि प्रार्थीनीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 3 का पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत मौजा भुका वगतसिह पटवार हल्का भूका वगतसिह के खेत खसरा नम्बर 635/1 रकबा 24.00 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 4/12 हिस्सा संयुक्त कब्जा काश्त के आया हुआ है तथा उक्त हिस्सो के अनुसार पक्षकार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। जिस पर पक्षकारान की ढाणीया, टांके, चारा तथा मवेशीयो के बाड़े इत्यादि बनें हुऐ है। प्रार्थीनीगण कादर खा की पुत्रीया होने से उपरोक्त भूमि मे अपना प्रत्येक 1/12–1/12 हिस्सा खातेदारी मे घोषित करवाने की अधिकारी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:22:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

अभी हाल ही मे कादर खा ने अपनी पुत्रीयों के हक से वचित करने की दुर्भावना से सम्पूर्ण आराजी की भूमि का भेंट पत्र विप्रार्थी सख्या 1 से 3 के पक्ष मे कर दिया है जबकि कांदर खा को अपना 1/12 हिस्सा से ज्यादा किया गया बेचान प्रारम्भ से ही शुन्य है कादर को अपना सम्पुर्ण हिस्सा का बेचान प्रारम्भ ही शुन्य है तथा उक्त बेचान के आधार पर विप्रार्थी सख्या 1 से 3 प्रार्थीगण को कब्जा से बेदखल करने पर आमदा है विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण का अपने घर–बार से बेघर होना पडेगा तथा उनके बच्चे व स्वयं भूख मरने की नौबत आ जावेगी प्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात होगा तथा अपनी पुरखो की आराजी के हक से वंचित हो जावेगी प्रार्थीनीगण को अपुरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई नही की जा सकती है। लिहाजा खेत मौजा भूंका वगतसिह के खेत खसरा नम्बर 635/1 रकबा 24.00 बीघा किस्म बारानी सोयम प्रार्थीनीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी विप्रार्थीगण नही कर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जावे।

इसके विपरित विप्रार्थी सं. 1 से 3 कि बहस है कि विवादित आराजी ग्राम भूंका वगतसिंह के खेत खसरा संख्या 635/1 जो पैतृक खातेदारी का नही होकर कादरखान को आंवटन हुआ है जिससे उक्त खसरे पर कादरखान का हक है और अपने जीवन काल में सम्पूर्ण रकबे को बैचान करने की हैसियत रखता है। मुस्लिम विधि में पैतृक भूमि में भी लड़कियों कों लड़को के समान हिस्सा नही मिलता है जो मांग की गई है वह गलत है वैसे भी यह मांग इस खसरे पर लागु नही होती है। उक्त खसरा पैतृक नही होने से पुत्रिया उसमें अपना हिस्सा घोषित नही करवा सकती है। और कादरखान अपने जीवन काल में सम्पूर्ण रकबे को बैचान करने की हैसियत रखता है। प्रार्थिगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा कांश्त नही है। जिससे बेदखल करने का कथन मात्र काल्पनिक है । और प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति नही हो रही है।

हमने दोनो पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रवली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। विवादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा अपनी ओर से प्रस्तुत आवेदन के जरिये विप्रार्थी सं. 3 से जो कि प्रार्थीयागण का पिता है–से वारिसान की हैसियत से इस्तदुआ चाहते हुए प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा घोषित करवाते हुए मौके पर कब्जे काश्त के अनुरूप विभाजन चाहा [illegible] अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान् मुस्लिम समुदाय [illegible] मुस्लिम विधि अनुसार इस्तदुआ तलब की [illegible] सम्पत्ति का बंटवाड़ा करने की [illegible] अलग रूप से निर्धारित हक हिस्से अनुसार की जानी है [illegible] हिन्दु रीति से पुत्र–पुत्रियों में समान रूप से हक हिस्सो का निर्धारण किया जाता रहा है। प्रस्तुत वाद में पक्षकार मुस्लिम विधि से शासित होने के उपरान्त भी प्रार्थीगण चाही गई इस्तदुआ हिन्दु रीति के अनुसार है। मुस्लिम विधि अनुसार कर्ता खानदान अपनी आवगी आराजी का हस्तान्तरण कर सकता है। विवादित भूमि विप्रार्थी सं. 3 को आवंटन से प्राप्त हुई है, जो कि पैतृक भूमि नही होकर स्वअर्जित की श्रेणी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:22:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

निहीत है, ऐसी स्थिति में मुस्लिम विधि अनुसार स्वयं के नाम से भूमि अधिग्रहणकर्ता अपने स्वामित्व की सम्पूर्ण भूमि का हक त्याग करने हेतु सक्षम है तथा स्वअर्जित भूमि में स्वयं के जीवित रहने तक उतराधिकार की हैसियत से वारिसान दावा पेश नहीं कर सकते साथ ही यदि प्रार्थियागण विधिक वारिसान की हैसियत से अपने हक हिस्से की भूमि की इस्तदुआ चाहते तो काननून मुस्लिम विधि से अपना हक हिस्सा घोषित करवाते हुए मूल वाद में विधिवत निपटारा किया जाना अपेक्षित है, परन्तु इस आवेदन के जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विधिपूर्वक मनन के बाद जाहिर होता है कि अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों शर्ते 1 सुविधा का संतुलन 2 अपूरणीय क्षति 3 प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीनीगण के पक्ष में साबित नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थिनीगण का आवेदन विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:22:14 IST
Reason: SelfAttested